

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०- 390, 404 T.R / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितिकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई बारे में
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------


04/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती रविंद्र महुवा पिता/पति जिमा महुवा  
 मौजा ठुप्रवालावाग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या- 4/151  
 में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 45/20-21 / 06/88-89 के आधार पर दर्ज है।  
 जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अग्रि के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>ठुप्रवालावाग</u>	<u>283</u>	<u>192</u>	<u>408</u> <u>410</u>	<u>0.15</u> <u>1.34</u> <u>1.49 (0.05)</u>

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 11/08/2020 को उपस्थापित करें।

  
 अंचल अधिकारी  
 अड़की।

11/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/  
भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा  
सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि  
नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के  
नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक  
सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती रविंद्र महुवा  
पिता/पति डॉ. महुवा मौजा अखिलाली थाना-अड़की,  
जिला-खूँटी के नाम से मौजा अखिलाली थाना नं० 283 खाता सं० 192  
प्लॉट सं० 408, 410 रकबा- 1.49 (अ.क.) लगान 9.78 रुपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप  
ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा अखिलाली  
खूँटी थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL- 4 ) के पृष्ठ संख्या- 151 पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।